श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 3 अक्तूबर, 1985

सं. ओ.वि./एफ.डी./67-85/41285.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़; (2) चीफ इंजिनियर थर्मल प्लांट, फरीदाबाद, के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फ़रीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामले हैं, न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मांस में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री मनवार सिंह रावत बोआयलर एटेंडेंट वरिष्ठता के आधार पर पक्का होने और बोआयलर अपरेटर के पद पर लगने के हकदार हैं? यदि हां, तो किस विवरण से?

दिनांक 15 अक्तूबर, 1985

स. ओ. वि./पानी/82-85/42325.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एम. डी. हरियाणा राज्य माईनर इरीगेशन ट्यूबवैल कारपोरेशन, चण्डीगढ़,

(2) कार्यकारी अभियन्ता, हरियाणा राज्य माईनर इरीगेशन कारपोरेशन पम्प वर्कशाप, करनाल, श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके वाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामले है, न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्रमिक श्री टाहर सिंह टीमेट वरिष्ठता के आधार पर जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नत किये गये हैं उस तिथि से पदोन्नति का हकदार है ? यदि हां तो किस विवरण से ?

स. ओ. वि./पानी 181-85/42332.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एम. डी. हरियणा माईनर इरीगेशन ट्यूबवैल कारपोरेशन चण्डीगढ़।

(2) कार्यकारी हरियाणा राज्य माईनर इरीगेशन कारपोरेशन पम्प वर्कशाप, करनाल के श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक प्राधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामले हैं, न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेत निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्रमिक श्री महावीर सिंह टीमेट वरिष्ठता के आधार पर जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नत किये गये हैं उस तिथि से पदोन्नति का हकदार है ? यदि हां तो किस विवरण से ?